न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	308/2010
GSMS प्रकरण संख्या	2014/01807
वाद दायर दिनांक	23.08.2010
वाद निर्णय दिनांक	06.12.2021

उनवान

क्र.स.	नाम
1	नारायण पुत्र भैरू कुमावत नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	गोकली पत्नि भैरू कुमावत नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	काना पि.भैरू कुमावत नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	सीताराम पुत्र गोकल कुमावत नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादीगण

1	कजोड़ पि.ऊंकार धोबी नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	हीरा पुत्र ऊंकार धोबी नि लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा.
3	नृसिंह के बजाय कायम मुकाम 1. लादू पुत्र नृसिंह धोबी 2. नानूड़ी पुत्री नृसिंह 3. सायरी मृतक के बजाय (क) पारसी पुत्री हजारी धोबी नि.शंभूगढ़ (ख) गोपाल पुत्र हजारी धोबी नि.शंभूगढ़ (ग) सांवर पुत्र हजारी धोबी नि.शंभूगढ़ 4.शान्ति पुत्री नृसिंह पत्नि शंकर धोबी नि.नान्दसा तहसील सहाड़ा
4	तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादी गण

उपस्थित वकील वादीगण	वादीगण स्वंय उपस्थित
उपस्थित वकील प्रतिवादीगण	प्रतिवादी सं.1 से 3 के विरूद्द एक तरफा कार्यवाही
उपस्थित वकील प्रतिवादीगण	श्री पैरोकार सरकार उपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 -188 RTA 1955

आदेश

1. वादीगण द्वारा वाद-पत्र माध्यम अधिवक्ता पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है -

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

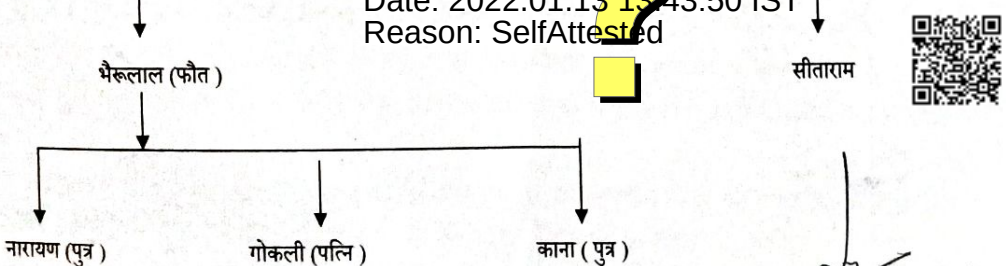

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

2. वादीगण के दादा गोकल पि.सदा कुमावत सा.देह खातेदार की आराजियात ग्राम लाछूड़ा पटवार हल्का लाछूड़ा तहसील आसीन्द में स्थित थी तथा गोकल के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजियात भैरू व सीताराम के नाम पर गोकल के स्वर्गवास के बाद में लगभग सन् 1988-1989 में उनके नाम पर दर्ज हुई और अभी भैरू व सीताराम दोनों का स्वर्गवास हो चुका है तथा दोनों के वारिसान वादीगण है।

3. गोकल के कब्जेकाश्त की आराजियात ग्राम लाछूड़ा में थी जिसके वर्तमान आ.नं.777 से 783 किता 7 रकबा 2.17 हैक्टर स्थित है जिसमें वादीगण के मौरूस गोकल के समय से ही गोकल भैरू व सीताराम व भैरू व सीताराम की मृत्यु के बाद में वादीगण उक्त जमीन पर बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का नाम वादीगण के खाते में सिकमी के रूप में दर्ज किया गया है जबकि उक्त जमीन के वास्तविक मालिक एंव खातेदार एंव कब्जेधारी वादीगण ही है। प्रतिवादीगण का कभी भी उक्त जमीन पर कब्जा न तो था और न है तथा रेकार्ड मे नाम चला आ रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने से कोई कब्जेधारी नहीं मिल जाता एंव वादीगण के द्वारा ही जमीन का लगान अदा किया आता जा रहा है।

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का उक्त जमीन से कोई लेना देना नहीं है मात्र राजस्व रेकार्ड में अंकन कर देने से उन्हे किसी तरह के हक अधिकार नहीं मिले व मिलते है जबकि वास्तविक अधिभोगी एंव मालिक वादीगण ही है क्योंकि वादीगण के पिता ने एक बार उनको सीजारे पर काश्त करने हेतु जमीन दी तो उन्होंने गलत तरीके से अपना नाम अंकन करवा लिया।

5. प्रतिवादीगण उक्त आराजियात से वादीगण को जबरन बेदखल करने की गरज से आये दिन विवाद करते रहते है और कहते है कि इस खाते में हमारा नाम " सिकमी" लिखा हुआ है इसलिये हम तुम्हे बेदखल करेंगे जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है अतः इन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अगर उन्हे पाबन्द नहीं किया गया तो वादीगण को असहनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

6. राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम जो शिकमी के रूप में दर्ज है उसे विलोपित कर वादीगण ही खातेदार है इस आशय की घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम खाते से हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

7. अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावे कि उक्त वादग्रस्त आराजियात से प्रतिवादीगण का नाम बहैसियत सिकमी खातेदार लिख रखा है उसे विलोपित किया जाकर वादीगण जो कि गोकल पि.सदा के वास्तविक वारिस एंव खातेदार है उनके नाम पर रखा जावे और प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करने की घोषणा पारित फरमायी जावें साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्द स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जेकाश्त में किसी तरह का हस्तक्षेप स्वंय,नौकर.चाकर,एजेन्ट के मार्फत नहीं करें ना करावें तथा वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते रहने देवे एंव जमीन को किसी प्रकार भारित मुन्तकिल बय-बक्षीश न करें न करावें।

8. प्रस्तुत वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 के वारिसानों के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये गये है। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

9. प्रतिवादी संख्या एक,दो व तीन के वारिसानों द्वारा बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं होने तथा अपने प्रतिरक्षण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से वादपत्र में तनकी पर्चा कायमी नहीं किया गया है।

10. न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक /रीडर /2021 /114 दिनांक 30.112021 से भू.अ.निरीक्षक लाछूड़ा को प्रकरण में उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्व रेकार्ड एंव मौका स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर भू.अ.निरीक्षक लाछूड़ा ने दिनांक 02.12.2021 को प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

11. पत्रावली " प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प दौलतगढ़ " [illegible] प्रस्तुत [illegible] पर वादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि [illegible] अंकित होकर हमारे कब्जे काश्त मे है तथा प्रतिवादीगण को हमारे पूर्वज [illegible] देने से प्रतिवादीगण ने गलत तरीके से वादग्रस्त भूमि में सिकमी के रूप में अपना नाम इन्द्राज करवा लिया जि[illegible]लोपित किया जाना न्यायसंगत होकर उचित है।

12. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों / मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक लाछूड़ा का अध्ययन किया गया। विवेचन में स्पष्ट हुआ कि राजस्व ग्राम लाछुड़ा की जमाबन्दी संवत 2065 -68 की खाता संख्या 371 में किता 7 रकबा 2.17 हैक्टर भूमि में

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाडा

नारायण काना पि.भैरू गोकली पत्नि भैरू सीताराम पि.गोकल कुमावत सा.देह शिकमी कजोड़ हीरा पुत्र ऊंकार ½ नृसिंह पुत्र गिरधारी ½ धोबी सा.देह दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक मौका पर्चा भू.अ.निरीक्षक लाछूड़ा के उभयपक्ष व मौतबीरान ग्रामवासी ने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों ने प्रतिवादीगणों के पूर्वजों को सीजारे पर खेती करने के लिये दी थी इसलिये प्रतिवादीगण का नाम सिकमी के रूप में दर्ज रेकार्ड हो गया है। मौके पर उपस्थित प्रतिवादीगण ने बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक एंव अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का शिकमी के रूप में दर्ज नाम को विलोपित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त मे है जिसे वादीगण के नाम बहक खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति / एतराज नहीं है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व लगान का भुगतान वादीगण द्वारा किया जाता रहा है।

13. वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का विधि-संगत निरन्तर कब्जा काश्त होने,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 45 के अन्तर्गत कृषि भूमि शिकमी काश्त पर दिये जाने के प्रावधान वादीगण के पक्ष में होने , वादग्रस्त भूमि का लगान वादीगण द्वारा नियमित रूप से चुकता किया जाता रहने तथा वादग्रस्त भूमि में दर्ज शिकमी काश्तकारों की सहमति प्राप्त होने से न्यायालय न्यायहित मे वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है -

–:क्रियात्मक निर्णय :–

अतः वादीगण द्वारा माध्यम अधिवक्ता प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188RTA 1955 स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शिकमी के रूप में अंकित प्रतिवादीगण की प्रविष्टि के विलोपन के आदेश दिये जाते है एंव प्रतिवादीगण को स्थायी निषेज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वंय, नौकर चाकर एजेन्ट के माध्यम से न करें तथा न ही करावें –

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	खातेदार का विवरण	आ.नं.	रकबा
1	लाछूड़ा	2065-68	371	नारायण काना पि.भैरू गोकली पत्नि भैरू ½ सीताराम पि.गोकल ½ कुमावत सा.देह खातेदार	777	0.47
					778	0.39
					779	0.20
					780	0.05
					781	0.50
					782	0.05
					783	0.51
				कुल योग	किता 7	2.17

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को "प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प दौलतगढ़ " में मजमे-आम सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	308/2010
GSMS प्रकरण संख्या	2014/01807
वाद दायर दिनांक	23.08.2010
वाद निर्णय दिनांक	06.12.2021

उनवान

क्र.सं.	नाम
1	नारायण पुत्र भैरू कुमावत नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	गोकली पत्नि भैरू कुमावत नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	काना पि.भैरू कुमावत नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	सीताराम पुत्र गोकल कुमावत नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादीगण

1	कजोड़ पि.ऊंकार धोबी नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	हीरा पि.ऊंकार धोबी नि.लाछूड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	नृसिंह के बजाय कायम मुकाम 1.लादू पुत्र नृसिंह धोबी 2.नानूड़ी पुत्री नृसिंह 3.सायरी मृतक के बजाय (क) पारसी पुत्री हजारी धोबी नि.शंभूगढ़ (ख) गोपाल पुत्र हजारी धोबी नि.शंभूगढ़ (ग) सांवर पुत्र हजारी धोबी नि.शंभूगढ़ 4. शान्ति पुत्री नृसिंह पत्नि शंकर धोबी नि.नान्दसा तहसील हुरड़ा
4	तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादी गण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीगण की ओर से अधिवक्ता वादीगण स्वंय तथा प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्द एक तरफा कार्यवाही में इस वाद-पत्र के आज तारीख 06.12.2021 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शिकमी के रूप में अंकित प्रविष्टि प्रतिवादीगण के विलोपन के आदेश दिये जाते है एंव प्रतिवादीगण को स्थायी निषेज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वंय, नौकर चाकर एजेन्ट के माध्यम से न करें तथा न ही करावें –

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	खातेदार का विवरण	आ.नं.	रकबा
1	लाछूड़ा	2065-68	371	नारायण काना पि.भैरू गोकली पत्नि भैरू ½ सीताराम पि.गोकल ½ कुमावत सा.देह खातेदार	777	0.47
					778	0.39
					779	0.20
					780	0.05
					781	0.50
					782	0.05
					783	0.51
				कुल योग	किता 7	2.17

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

इस वाद के खर्चे लेखे ---xxxx--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---xxxx---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---xxxx---द्वारा ---xxxx---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख ---06.12.2021----- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा